भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न सं. 207

03 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: बीज बाजार

207. श्री राजकुमार चाहर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में किसान देश के बीज बाजार से वित्तीय लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जबकि देश विश्व में पांचवें सबसे बड़े बीज बाजार के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक फसल चक्र के लिए बीजों की खरीद की लागत में होने वाली वृद्धि को कम करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण बीजों की भी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ड) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

बीज बाजार के संबंध में दिनांक 03 अगस्त, 2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 207 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क):नहीं महोदय,भारतीय बीज बाजार दुनिया के सबसे बड़े बीज बाजारों में से एक है। भारत से कुल बीज निर्यात लगभग रु. 1000 करोड़का हैं, जिससे किसानों को भी आर्थिक लाभ मिल रहा है।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

(ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदएवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)ने पिछले पांच वर्षों में कई नई किस्में विकसित की हैं, जो उच्च उपज देने वाली, जैविक/ए-जैविक तनाव सहिष्णु, रोग/कीट प्रतिरोधी और बायो-फोर्टिफाइड किस्में हैं। भारत सरकार विभिन्न योजनओं यथा सब मिशन आन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोलुशन टू ईस्टर्न इण्डिया (बीजीआरईआई) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाके माध्यम से बीजों के वितरण,उत्पादन, किसानों के प्रशिक्षण, सीड ट्रीटिंगड्रम, सीड स्टोरेज बिन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदएवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)द्वारा विकसित उच्च उपज देने वाली किस्मों के प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(घ) एवं (ड.): देश में आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध है। भारत सरकार प्रत्येक वर्ष लगभग 70-75 हजार क्विंटल उच्च उपज वाली किस्मों के प्रजनक बीज आवंटित करती है। रबी 2020-21 में बीज की कुल आवश्यकता 292.63 लाख क्विंटल थी, जिसके सापेक्ष 329.96 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध था। इसी प्रकार खरीफ-2021 के लिए कुल 154.50 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता थी, जिसके सापेक्ष 165.06 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है ।

भारत सरकार प्रत्येक बुवाई के मौसम से पहले क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों और राष्ट्रीयकृषि सम्मेलन के तंत्र के माध्यम से अखिल भारतीय बीज आवश्यकता और उपलब्धता को पूरा करने में राज्यों के साथ समन्वय करती है। भविष्य में बीज योजना तैयार करने हेतु

भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्रतिवर्ष गतिशील बीज रोलिंग योजना तैयार करने का आग्रह करती है,ताकि भविष्य में भी बीज की कमी न हो।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जो बीजों का उत्पादन और विपणन करता है जो किसानों को अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों में वार्षिक रूप से14-15 लाख क्विंटल प्रमाणित और गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति कर रहा है।

सरकार ने देश भर में किसानों को विभिन्न फसलों की अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति करने के लिए दलहन में 150, तिलहन में 35 और पोषक अनाज में 24 बीज हब शुरू किए हैं।

पीपीवीएंडएफआर अधिनियम, 2001 के अंतर्गत किसान अपनी किस्मों को पंजीकृत करने के पात्र हैं। वे किसान जो भूमि प्रजातियों, आर्थिक पौध के जंगली किस्म (रिलेटिव) के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और उनके सुधार में शामिल हैं,प्राधिकरण के जीन फंड से पुरस्कार और मान्यता के लिए चयन और संरक्षण के पात्र हैं।

देश में कुल 25 बीज प्रमाणन एजेंसियाँ है जो प्रत्येक वर्ष लगभग 250-260 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज उत्पादन की निगरानी करने के लिए विभिन्न राज्यों में काम कर रही है ।

*****